

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ खैरथल-तिजारा में डीएसटी टीम के दो कांस्टेबल 2 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2026। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर आज एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए जिला खैरथल-तिजारा की डीएसटी टीम में पदस्थापित आरोपी ब्रजेश, कांस्टेबल 210 एवं आरोपी ईश्वर सिंह, कांस्टेबल 333 को परिवादी से 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी अलवर प्रथम को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि खैरथल-तिजारा डीएसटी प्रभारी गौरव एवं उनकी टीम के सदस्य ब्रजेश तथा ईश्वर सिंह सादे कपड़ों में परिवादी के कारखाने पर आए। आरोपियों ने कारखाने में लगे कैमरे हटवा दिए तथा परिवादी पर नकली कलाकंद बनाने का आरोप लगाते हुए खाद्य विभाग की टीम को बुलाया, जिसने माल के नमूने लिए।

परिवादी के अनुसार, इसके बाद आरोपी ब्रजेश ने कारखाने का माल नष्ट करवाने से बचाने तथा कारखाना सीज नहीं करवाने की एवज में एक-दो दिन में 1,00,000/- रुपये देने की मांग की। वहीं, आरोपी ईश्वर सिंह ने परिवादी के परिचित अन्य व्यक्तियों से भी 50-50 हजार रुपये लेकर डीएसटी कार्यालय में आने के लिए कहा तथा ऐसा नहीं करने पर उनके कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करने की धमकी दी। इस प्रकार आरोपियों द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादीगण की फर्مو पर छापा नहीं डालने तथा तैयार माल नष्ट नहीं करवाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा था।

उक्त शिकायत का को सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी ब्रजेश, कांस्टेबल 210 एवं ईश्वर सिंह, कांस्टेबल 333, डीएसटी टीम, जिला खैरथल-तिजारा द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादीगण की फर्मों पर कार्रवाई नहीं करने तथा तैयार माल नष्ट नहीं करवाने की एवज में कुल 2,20,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाया गया।

एसीबी जयपुर रेंज के पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में एसीबी चौकी अलवर प्रथम के प्रभारी श्री शब्बीर खान, पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में आज ट्रेप कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान आरोपी ब्रजेश, कांस्टेबल 210 एवं आरोपी ईश्वर सिंह, कांस्टेबल 333, डीएसटी टीम, जिला खैरथल-तिजारा को परिवादी से 2,00,000/- रुपये (दो लाख रुपये) रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

—किसी व्यक्ति के विरुद्ध एसीबी में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, आदि) दर्ज होने पर, ACB से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण के ACB द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ACB की कार्य प्रणाली का हिस्सा है। यह जानकारी एसीबी के डर से धोखाधड़ी आदि के शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।